



मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मध्यप्रदेश शासन

भोपाल (म.प्र.)

क्र. कमांक : 576/B/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल,
प्रति,

दिनांक
दिनांक : 27/5/2015

कुलसचिव
सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय
(आर.के.डी.एफ. मेडिकल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर)
वृन्दावन गार्डन के पीछे, एन.एच.-12, होशंगाबाद
रोड, जाटखेड़ी, भोपाल (म.प्र.) - 462047

विषय:- वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा।
सन्दर्भ:- आपका पत्र कमांक 375 दिनांक 19.4.2016

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर सन्दर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव तथा उसमें उल्लिखित तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित की गई। तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित की गई। तदानुसार सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :-

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रुपये में)

सरल कं.	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम शुल्क	विकास शुल्क	योग
1	B.Pharmacy	47,600	8,400	56,000
2	M.Pharmacy	65,450	11,550	77,000
3	D.Pharmacy	42,000	7,700	49,700
4	MBBS	5,94,100	1,04,800	6,98,900
5	B.Sc(Nursing)	66,300	11,700	78,000
6	Post Basic B.Sc(Nursing)	40,800	7,200	48,000
7	GNM	38,700	6,800	45,500
8	M.Sc. (Nursing)	1,29,500	22,900	1,52,400
9	BDS	1,97,000	34,800	2,31,800
10	MDS	4,63,800	81,900	5,45,700
11	BHMS	80,800	14,300	95,000
12	B.E.	55,250	9,750	65,000
13	M.TECH	56,100	9,900	66,000
14	DIPLOMA-ENGG	20,825	3,675	24,500
15	MBA(Full Time)	46,750	8,250	55,000

16	MBA (Part Time)	14,450	2,550	17,000
17	Ph.D	1,44,500	25,500	1,70,000
18	MCA	32,300	5,700	38,000
19	B.ED	32,300	5,700	38,000
20	B.Sc.	12,750	2,250	15,000
21	M.Sc	17,000	3,000	20,000
22	B.Sc. (Agriculture)	52,700	9,300	62,000

1. उपरोक्त शुल्क में पाठ्यक्रम के संचालन से संबन्धित समस्त शुल्क यथा- रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियाँ शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल है। तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जस, छात्रावास/ मेस चार्जस आदि वैयक्तिक व्यय पृथक से लिये जा सकेगे परन्तु इनका लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

2. विकास शुल्क का लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा।

3. आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क की समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित (projected) वित्तीय आंकड़ों की तुलना, अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा, अंतर के कारणों को स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई स्पष्ट करना होगी, यदि लागतें कम हुईं तो वसूली गई अधिक फीस छात्रों को वापस करनी होगी।

(चेयरमैन द्वारा अनुमोदित)

१९

B. Bahalwar
सचिव 24/05/16